

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

प्रेषक:

जितेन्द्र प्रसाद
सरकार के संयुक्त सचिव

सेवा में,

कुलसचिव
जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा

पटना, दिनांक 24-8 — 2012

विषय:- सी०डब्ल्यू०जे०सी० संख्या-1182/10 में पारित न्यायादेश से उद्भूत अवमाननावाद संख्या 156/2012 डा० विनय कुमार सिंह बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में पारित न्यायादेश के अनुपालन तथा राज्य के शिक्षण हित में जय प्रकाश विश्वविद्यालय के अधीनस्थ अंगीभूत महाविद्यालयों में औसत छात्रों की संख्या के आधार पर सहायक प्रोफेसर (पूर्व में व्याख्याता) के विषयवार अनुमान्य पदों का विधिमान्य संतुलन बनाये रखने के हेतु इस श्रेणी के पदों को बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम में निहित प्रावधानों के अधीन रेशनलाइज किये जाने के पश्चात् उसकी विस्तृत विवरणी उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार अंकित करना है कि सी०डब्ल्यू०जे०सी० संख्या-1182/10 में पारित न्यायादेश से उद्भूत अवमाननावाद संख्या-156/2012 डा० विनय कुमार सिंह बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में पारित न्यायादेश के अनुपालन में एवं विभागीय पत्रांक-1300 दिनांक 10.07.2001 तथा राजकीय संकल्प संख्या-2374 दिनांक 29.07.2010 में अंकित तथ्यों के आलोक में आपके विश्वविद्यालय के अधीनस्थ अंगीभूत महाविद्यालयों में छात्रों की औसत संख्या के, आधार पर विषयवार व्याख्याताओं (अब सहायक प्रोफेसर) के अनुमान्य पदों का विधिमान्य संतुलन बनाये रखने के निमित्त इस श्रेणी के पदों का रेशनलाइजेशन बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा-35 में निहित प्रावधानों के अधीन विभागीय संकल्प संख्या- 1380 दिनांक 05.07.2012 के द्वारा किया गया है।

2. उल्लेखनीय है कि पूर्व में राज्य सरकार को समक्ष कई ऐसे मामले दृष्टिगोचर हुए थे जहाँ एक ओर ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित कई महाविद्यालयों में शिक्षकों के स्वीकृत पदों की तुलना में छात्रों की संख्या नगण्य पायी गयी थी वहीं दूसरी ओर शहरी क्षेत्रों के अंगीभूत महाविद्यालयों में पढ़ रहे औसत छात्रों की संख्या की तुलना में शिक्षकों के स्वीकृत बल को आवश्यकता के अनुरूप नहीं पाया गया था। उपर्युक्त वस्तुस्थिति माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेशों तथा राज्यपाल सचिवालय के पत्रांक 2299 दिनांक 05.09.2011 में अंकित तथ्यों एवं राज्य के शिक्षण हित में शासन के स्तर पर लिये गये निर्णयों के आलोक में विभागीय स्तर से निर्गत संकल्प संख्या 1380 दिनांक 05.07.2012 में अंकित निदेशों के अनुपालन में अपने अधीनस्थ अंगीभूत महाविद्यालयों में पढ़ रहे औसत छात्र संख्या के आधार पर युक्तिसंगत एकीकरण, (Unification) विलयन (Amalgamation) अथवा बंदी की कारवाई संलग्न की जा रही विवरणियों के आधार पर निम्न रूप से सुनिश्चित किया जाय :-

(i) अपने अधीनस्थ अंगीभूत महाविद्यालयों में कुल 69 (उन्हत्तर) अतिरिक्त (Surplus) पद है परन्तु उक्त अतिरिक्त पद का 20% अर्थात् 17 पदों को विभाग में सुरक्षित रखते हुए मात्र 52 पदों को प्रत्यापित

किया जाता है। भविष्य में छात्रों की संख्या बढ़ने पर इन पदों की आवश्यकता के अनुरूप विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराया जायगा।

(ii) अपने अधीनस्थ कतिपय अंगीभूत महाविद्यालयों के कुछ विषयों में कुल 98 पदों के सृजन तथा विभिन्न विषयों के 64 पदों को एक महाविद्यालय से दूसरे महाविद्यालय में स्थानांतरित किया जाता है।

(iii) एक वर्ष के अंदर राज्य के विश्वविद्यालयों द्वारा बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा-4 (18) में निहित प्रावधानों के अधीन जिन विषयों में छात्रों की संख्या 10 से कम रहे उन विषयों की पढ़ाई का युक्तिसंगत एकीकरण (Unification)/ विलयन (Amalgamation) अथवा बंदी की कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय तथा उक्त विषय की पढ़ाई का संचालन किसी अन्य निकटतम अंगीभूत महाविद्यालय में किये जाने की कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय।

(iv) इस क्रम में वर्तमान में कार्यरत शिक्षकों का पदस्थापन केवल स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर की पढ़ाई के लिए किया जाय।


(v) आपके अधीनस्थ अंगीभूत महाविद्यालयों का कुल 42 शिक्षकों को अपने विश्वविद्यालय के अधीनस्थ महाविद्यालयों से दूसरे महाविद्यालय में स्थानांतरण किए जाने का कार्य विश्वविद्यालयों के स्तर पर राज्यपाल सचिवालय के पत्रांक-2467 दिनांक 25.07.2008 में अंकित दिशा निर्देशों के आलोक में किया जाना सुनिश्चित किया जाय। इस क्रम में संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि जिस कॉलेज में जो शिक्षक सबसे अन्त में नियुक्त/ स्थानांतरित होकर आए है, उनका ही स्थानांतरण किया जाएगा।

3. उपर्युक्त कड़िका 2, के उपकड़िका i से v में अंकित तथ्यों के अनुरूप आपके विश्वविद्यालय के महाविद्यालय वार एवं विषय वार अतिरिक्त पदों को प्रत्यापित करने की विवरणी, पदों के सृजन में सरकार की पूर्वानुमति की विवरणी, पदों को विश्वविद्यालय के अन्दर एक महाविद्यालय से दूसरे महाविद्यालय में स्थानान्तरण की विवरणी, विश्वविद्यालयवार शिक्षकों के संख्या के स्थानांतरण की विवरणी तथा विश्वविद्यालयवार सहायक प्रोफेसरों की विवरणी अनुलग्नक संख्या-I एवं II के रूप में संलग्न कर उपलब्ध कराया जा रहा है।

4. उपरोक्त के आधार पर आपके विश्वविद्यालय में समेकित रूप में 343 सहायक प्रोफेसरों की रिक्तियां संभावित हैं परन्तु विषय वार रिक्तियों की वास्तविक संख्या विश्वविद्यालयों से तत्संबंधी अद्यतन प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् विभागीय स्तर से संसूचित किया जाएगा, ताकि उसके आधार पर अंगीभूत महाविद्यालयों में नियुक्ति की प्रक्रिया में राज्य सरकार की पूर्वानुमति आपके विश्वविद्यालय को संसूचित किया जा सके।

5. वर्णित तथ्यों, माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा विषयाधीन वाद में पारित न्यायादेश एवं बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 35, 36, 38, 39 तथा 61(2) में निहित प्रावधानों के साथ-साथ पूर्व में संसूचित राजकीय संकल्प में लिये गये निर्णयों के आलोक में आपसे अनुरोध है कि संलग्न की जा रही विवरणियों के आधार पर रेशनलाईजेशन की कार्रवाई सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर विश्वविद्यालय स्तर पर सुनिश्चित करते हुए इसका अनुपालन प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराये जाने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,



(जितेन्द्र प्रसाद)

सरकार के संयुक्त सचिव

**GOVT. OF BIHAR
EDUCATION DEPARTMENT**

**JAI PRAKASH UNIVERSITY, CHAPRA
TEACHING POSTS SUBJECTWISE IN PCV COLL. CHAPRA**

S.NO	SUBJECT	NO. OF SANCTIONED POST	POST Rationalisation. Total Posts	Regarding Movement of POSTS				SCENARIO AFTER RATIONALISATION		
				Surplus Post	Deficit Post	Coll/Univ TO which Surplus Post will go	Coll/Univ FROM which Deficit Post will come	POST TO BE SURRENDERED	POST TO BE CREATED	POST Rationalisation on Total Vacancy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	PHYSICS	1	1	0	0			0	0	0
2	CHEMISTRY	1	2	0	1		JAG-1	0	0	0
3	BOTANY	1	1	0	0			0	0	0
4	ZOOLOGY	1	2	0	1			0	1	0
5	MATHEMATICS	1	1	0	0			0	0	0
6	GEOGRAPHY			0	0			0	0	0
7	PSYCHOLOGY	2	2	0	0			0	0	1
8	HOME SCIENCE			0	0			0	0	0
9	MUSIC			0	0			0	0	0
10	HISTORY	2	2	0	0			0	0	0
11	ECONOMICS	2	1	1	0	YND	1	0	0	0
12	POLITICAL SCIENCE	2	2	0	0			0	0	0
13	PHILOSOPHY	2	1	1	0			1	0	0
14	HINDI	2	2	0	0			0	0	0
15	ENGLISH	2	1	1	0			1	0	0
16	SANSKRIT	1	0	1	0	RAJE	1	0	0	0
17	URDU	1	1	0	0			0	0	0
18	COMMERCE			0	0			0	0	0
TOTAL :		21	19	4	2	2	1	2	1	1

POST RAT SANCTIONED POST=19
POST TO BE SURRENDERED=2
POST TO BE CREATED=1
POST TO BE TRANSFERRED=3
TOTAL VACANCY=1

3 POST TO BE TRANSFERRED
1 PSOT OF ECO FROM PCV TO YND
1 PSOT OF SANS FROM PCV TO RAJE
1 POST OF CHEM FROM JAG TO PCV

Jitendra Prasad

(JITENDRA PRASAD)
Joint Secretary to the Govt. of Bihar
Education Department

all *all*